



21-05-18

पत्रावली पेश हुई। वकिल प्रार्थी हाजिर। प्रार्थी का वाद पत्र स्वीकार लिया जा चुका है। सब कोई शर्पवाही अपेक्षित नहीं है। मतः प्रार्थना पत्र में कोई शर्पवाही अपेक्षित नहीं होने से शर्पवाही समाप्त ही जाती है। वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मिसल नम्बर से कम होकर शुमार पेंसल हो।

आदेश मजमेआम अगवानपुरा में सुनाया गया।


अध्यक्ष

लोक अदालत शिविर
सरवाड़ (अजमेर)



लोक अदालत शिविर
अजमेर


अध्यक्ष

लोक अदालत शिविर
सरवाड़ (अजमेर)